भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006

फोन न: 0151 2250960- 2253123

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र में निम्न की खुली नीलामी निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तावित है :-

क्र स	कार्य/सामान	धरोहर राशि	नीलामी तिथि/समय
1	ग्वार की तुड़ी (10-12 क्विंटल)	2000.00	20.02.2020
2	सुखी लकड़ी (खेजड़ी की लकड़ी शामिल नहीं है)	5000.00	20.02.2020

11:30 AM

उपरोक्त अंकित तिथि/समय पर संस्थान के फार्म कार्यालय पर आयोजित खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक व्यक्ति बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं फार्म कार्यालय भवनों [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट एवम संस्थान की वेब साइट www.ciah.icar.gov.in एवम CPP-NIC Portal पर उपलब्ध है। नीलामी में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति उक्त नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन अपनी बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लेवें। प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास पूर्ण रुप से सुरक्षित रहेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

Uploaded

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

त्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/FP Auction/2011/ 10992 दिनांक: 15/ .02.2020

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान फार्म में ग्वार तुड़ी लगभग 10-12 क्विंटल एवं सूखी लकड़ी (खेजड़ी शामिल नही है) की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक **20.02.2020** को **सुबह** 11.30 बजे (गुरुवार) आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट www.ciah.icar.gov.in एवं CPP NIC Portal पर देख सकते है।

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शिवबाडी, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शिवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछवाल, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
7. सूचना पट्ट - कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर |
8. सूचना पट्ट - कार्यालय जिला क्लेक्ट्रेट, बीकानेर |
9. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
10. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
11. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

Sh. Sanjay Patil.

15/02/2020

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

भाकृअनुप ICAR

फा.07/(11)06/CS/FP/Auction/2011/11003 दि. 15/02/20

संस्थान के बिभिन्न प्रक्षेत्र मे ग्वार की तुड़ी 10-12 क्विंटल एवं सुखी लकड़ी 80 से 100 क्विंटल (खेजड़ी शामिल नही है) खुली नीलामी (दिनांक 20.02.2020 को सुबह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त।

1. संस्थान के विभिन्न प्रक्षेत्र मे ग्वार की तुड़ी एवं सुखी लकड़ी (खेजड़ी की लकड़ी शामिल नही है) की नीलामी की जानी है।
2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में रु.2000/- गवार तुड़ी नीलामी एवं 5000/- सूखी लकड़ी नीलामी हेतु अलग-अलग जमा कराने होंगे।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।
4. जिस व्यक्ति के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्वार की तुड़ी एवं सूखी लकड़ी लेते समय संस्थान की अन्य संपति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
8. ग्वार की तुड़ी सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को ग्वार की तुड़ी ले जाने के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। लकडियों को बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है। सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य 07 दिवस में पूर्ण करना होगा।
9. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण ग्वार की तुड़ी, सूखी लकड़ी से को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
10. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) ग्वार की तुड़ी व सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान को निकासी गेट पास द्वारा (10 A.M. से 4 P.M.) कि जायेगी।
12. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति न पहुचाइ जाये, अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक से की जावेगी।
13. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे।
14. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा।
15. उपरोक्त ग्वार की तुड़ी सूखी लकड़ी अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉं पडी है वहॉं से ही उठानी होगी।
16. सूखी लकड़ियों में राजस्थान सरकार/वन विभाग से प्रतिबंधित लकड़ियों को ले जाने की अनुमति नही होगी।
17. कुछ पेड़ सूखकर खड़े है, उनको नहीं काटा जावेगा एवं हरी लकड़ी/टहनियों को भी नहीं काटा जावेगा, यदि अनुबंधक ने शर्तो का उल्लघन किया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

सूचनार्थः

1. नोटिस बोर्ड–कार्यालय।
2. नोटिस बोर्ड प्रक्षेत्र।
3. प्रभारी ए.के.एम.यू.–अपलोड हेतु।

Sh. Sanjay Pahl.